

क्र. १५०/१००/१२/५१/१५/४१/४०/५० भोपाल, दिनांक १५ मई १९९७

- 1] सनस्त क. समस्त विभाग
- 2] सनस्त आयुक्त : म०१०
- 3] सनस्त प्रिन्सिपल, म०१०
- 4] प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल
- 5] सनस्त अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, म०१०
- 6] सनस्त अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, म०१०
- 7] सनस्त कार्यपालन यन्त्री, लो० नि० वि०, म०१०

विषय :- लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने वाले डिपॉजिट कागजात पर्यवेक्षण करने वाले उपरलोकन धार्ज पावता ।

अध्यक्षासन जनसंख्या विभाग है कि कार्य विभाग निम्नानुसार

राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यो के डिपॉजिट कर्तव्य पर नियंत्रित किया जाता है :-

- 1] एक करोड़ तक के कार्यो के लिये 22.75 प्रतिशत
- 2] दो करोड़ तक के कार्यो के लिये 12
- 3] पांच करोड़ तक के कार्यो के लिये 8
- 4] पांच करोड़ से अधिक के कार्यो के लिये 7

67731 GS 186 EXECUTIVE

P.W.D. Mch. Du

R. No.

Date

Drawn by

*[Handwritten signatures and notes]*

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगी ।

१९९७ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

के०के० श्रीवास्तव

उप निरीक्षक

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

क्र. १५०/१००/१२/५१/१५/४१/४०/५० भोपाल, दिनांक १५ मई १९९७

प्रतिलिपि :-

- 1] प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / लोक स्वयंसेवा समिति
- 2] महानिरीक्षक, म०१०, भोपाल / स्वामी

को भेजा जाय